सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्याः 03/16 **निर्णय दिनांकः 24.05.2018**

1. लेखूराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल(चमार) साकिन फूलेवाली तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—प्रार्थी

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरुद्व निर्णय दिनांक 28—09—2015
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री रामावतार बूरी, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 28—09—2015 जिसके द्वारा प्राथीगण की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 01—12—2014 के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में कथन किया गया था कि प्रार्थी को ग्राम फूलेवाली में 75 बीघा भूमि आवंटित

की गई थी जोकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में उसके नाम चली आ रही थी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के आराजीराज दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि को पूर्ववत प्रार्थी/वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज की जावे व इसी अनुरूप दावा डिक्री किया जावे। उक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी माननीय न्यायालय ने रिकार्ड को अनदेखा करते हुए प्रार्थी की अपील खारिज की गई है। जो एरर अपेरन्त ऑन दा फेस ऑफ रिकार्ड की तारीफ में आने से निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाकर उसके द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का निर्णय व डिक्री दिनांक 01—12—2014 निरस्त किया जाकर अपीलांट/प्रार्थी का दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने आगे बताया कि उक्त रकबा आवंटन के समय से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। उक्त भूमि चकों में आने के कारण प्रार्थी द्वारा सूची नम्बर चार की नकल अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष अपने दावे को बखूबी साबित किया गया था। उक्त सभी तथ्य प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु न्यायालय हाजा द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो एरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने से निरस्त फरमाया जावे व प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए दावा डिक्री किया जावे।

उन्होंने आगे बताया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में उक्त रकबा सन् 1967 से यानी लगभग 50 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है जिसमें से कुछ भूमि सिंचित है जिसकी सिचाई विभाग की पानी की पर्ची, गिरदावरियों तथा सिंचाई विभाग की रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में की हुई है। जिसके आधार पर वादगत् भूमि पर प्रार्थी निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कथन किया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा जो रकबा तीन वर्षो के लिए आवंटित किया गया था उसकी अवधि 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी तथा ऐसे आवंटियों को खातेदारी देने के आदेश दिये गये थे।

परन्तु अदालत मातहत व न्यायालय हाजा द्वारा उक्त परिपत्रों को न मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत व न्यायालय हाजा द्वारा कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश पारित किये गये है। जो एरर अपेरन्त ऑन दा फेस ऑफ रिकार्ड होने से प्रार्थी का नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दावा डिक्री किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपील निर्णय दिनांक 28—09—2015 में किसी प्रकार की विधिक व तकनीकी त्रुटि नहीं है। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है। नजरसानी जैर आदेश में केवल ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी उसे नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धोषणात्मक का दावा पेश किया। जो खारिज किया गया जिसके विरुद्व प्रार्थीगण ने अपील पेश की थी। जो दिनांक 28—09—2015 को प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर तीन साला आवंटन के पश्चात् निरन्तर कब्जा काश्त साबित नहीं कर पाया। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी के दावे में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए विधिवत निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील में पक्षकारों की बहस सुनकर विस्तृत विवेचना करते हुए दिनांक 28—09—2015 को खारिज की गई। प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अपील के मेरिट के तथ्य बताये है। प्रार्थीगण ने अपील के निर्णय में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जो ऐरर ऐपेरन्ट ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड हो। रिव्यू प्रार्थना पत्र का स्कोप बहुत सीमित है इसलिए मेरिट के तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28—09—2015 कायम रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 24—05—2018 को मेरे द्वारा लिखाय जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर